

18.03.2024:- आज पत्रावली प्रार्थीया अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी में लिया गया। प्रार्थी स्वयं उपस्थित आए। फर्द अहकाम पर अगूठा/हस्ताक्षर करवाये गये। वादी का मूल वादपत्र राजीनामा आधार पर खारिज हो गया। मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Amey  
 सहायक क्लर्क  
 एवं उपखण्डाधिकारी  
 हनुमानगढ़

प्रार्थना-पत्र  
 x

Amey  
Amey  
 18/3/24 अंबरी

अति  
 20/3  
 9.6.24  
 20

ज्यामालप

वकास रवि  
 प्र.पत्र धारा 212  
 ता.पेशी दि. 28/3/24  
 प्र.पत्र धा. 37/20

श्रीमानजी,  
 उपरोक्त प्र-वादी/अ  
 अधिकारी हैं जिसे आपकी आदेश  
 द्वारा नियमित रूप से प्रेशी  
 वाकि कलकत-वादी हैं।

आता: अम्बरी  
 पत्रावली पेशी दि. लेटर  
 जमी हता पर वाकि  
 दिनांक 26/3/24



9.6.24  
 20